(21) उपरोक्त चर्चा की अगली कड़ी के रूप में, ये अपीलें सफल होती हैं। माननीय न्यायाधीश के फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है और स्नातक और गैर-स्नातक क्लर्कों को दिए गए विभिन्न वेतनमानों को बरकरार रखा जाता है क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 (1) का उल्लंघन नहीं करता है।

(22) इस फैसले की एक फोटोकॉपी जुड़ी हुई अपील फाइल पर रखी जाए

आदर्श कुमार गोयल-ए. सी. जे. और अजय कुमार मित्तल

वी. सूरी, जे. म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, चंडीगढ़ और अन्य - अपीलार्थी

बनाम

COL. आर. टी. डी. दलजीत सिंह और अन्य,उत्तरदाता

-2010 का एल. पी. ए. No.258

19 मई, 2011

पंजाब म्यूनिसिपल एक्ट, 1911-एस. 56-पंजाब म्यूनिसिपल (एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स) एक्ट, 1931-अनुसूची I-लेटर्स पेटेंट अपील-खंड X-फिर से शुरू करना-अध्यक्ष/समिति/कार्यकारी अधिकारी की शक्तियां-संपत्ति समिति की थी और आवंटन समिति की ओर से किया गया था-समानताओं द्वारा स्पष्ट रूप से अधिकृत शक्ति का प्रयोग करने के लिए एक विधिवत अधिकृत पदाधिकारी द्वारा किया गया समझौता-राष्ट्रपति को फिर से शुरू करने के लिए प्रदान की गई शक्ति भी समिति की शक्ति थी-इस तरह के सम्मान में वैधानिक योजना के अनुसार शक्ति का प्रयोग शामिल नहीं था-एक न्यायिक व्यक्ति वैध प्रतिनिधि द्वारा से काम कर सकता था, विशेष रूप से वैधानिक प्रावधान के अनुसार-रिट याचिका विचाराधीनता होने के दौरान जमा-अपने आप में फिर से शुरू करने के आदेश को अलग करने के लिए पर्याप्त नहीं है-यह शक्ति के प्रयोग के बाद ही होता है।

अभिनिर्धारित किया गया कि पुनः आरंभ करने के विवादित आदेश को केवल इस आधार पर दरकिनार नहीं किया जा सकता है कि पुनः आरंभ करने का आदेश पारित करने की शक्ति समिति की नहीं बल्कि राष्ट्रपति की थी। हमारे विचार के कारणों का सारांश इस प्रकार हैः-

(क) संपत्ति समिति की है और आवंटन समिति की ओर से किया गया था;

(ख) अध्यक्ष को फिर से शुरू करने की शक्ति भी समिति की शक्ति थी।

(ग) पक्षकारों के बीच एक विधिवत अधिकृत पदाधिकारी द्वारा प्रयोग की जाने वाली स्पष्ट रूप से अधिकृत शक्ति के लिए समझौता;

(घ) एक न्यायिक व्यक्ति वैध प्रतिनिधि द्वारा से कार्य कर सकता है, विशेष रूप से वैधानिक प्रावधान के अनुसार;

(ङ) राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करने में वैधानिक योजना के अनुसार शक्ति का प्रयोग शामिल नहीं था।

(पैरा 14)

आगे अभिनिर्धारित किया कि रिट याचिका विचाराधीनता रहने के दौरान केवल जमा राशि ही पुनः आरंभ करने की शक्ति के प्रयोग की वैधता के प्रश्न पर निर्णय लिए बिना पुनः आरंभ करने के आदेश को दरकिनार करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह केवल तभी होता है जब सत्ता का प्रयोग अवैध पाया जाता है, फिर से शुरू करने को अलग करने का सवाल उठ सकता है और ऐसी स्थिति में भी, उन शर्तों पर निर्णय लेना पड़ सकता है जिन पर फिर से शुरू किया जा सकता है।

(पैरा 15)

लिसा गिल, अधिवक्ता, अपीलार्थियों की ओर से।

राजीव आत्मा राम, वरिष्ठ अधिवक्ता सौरभ अरोड़ा, अधिवक्ता,

प्रतिवादी के लिए।

आदर्श कुमार गोयल, एसीजे।

(1) यह अपील विद्वान एकल न्यायाधीश के उस आदेश के खिलाफ की गई है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर प्रतिवादी की रिट याचिका को फिर से शुरू करने के आदेश के खिलाफ अनुमति दी गई है कि अपीलकर्ता समिति का एकमात्र अध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है न कि कोई अन्य अधिकृत अधिकारी।

नगरपालिका निगम, चंडीगढ़ और अन्य बनाम कोल. आर. टी. डी. दलित सिंह और अन्य

(आदर्श कुमार गोयल, एसीजे)

(2) विचाराधीन स्थान अपीलकर्ता समिति द्वारा 23.11.1989 पर रिट याचिकाकर्ताओं के पूर्ववर्ती को आवंटित किया गया था।आबंटित व्यक्ति आबंटन की शर्तों के अनुसार आवश्यक राशि जमा करने में विफल रहा।साइट को अपीलकर्ता की अनुमति से 27.6.1990 पर रिट याचिकाकर्ताओं को स्थानांतरित कर दिया गया था।रिट याचिकाकर्ता पहली किश्त का भुगतान करने में भी विफल रहे और प्रारंभिक जमा राशि को जब्त करने से बचाने के लिए साइट को आत्मसमर्पण करने की मांग की।अपीलकर्ता समिति ने कार्रवाई शुरू की और दिनांक 3.7.1992 को फिर से शुरू करने का आदेश पारित किया और साइट को आत्मसमर्पण करने के अनुरोध को खारिज कर दिया।आबंटित व्यक्ति द्वारा जमा की गई राशि जब्त कर ली गई।यह अभिनिर्धारित किया गया कि चूंकि रिट याचिकाकर्ता दिनांकित आई. डी. 1 के कारण दिखाएँ नोटिस के बावजूद किश्तों का भुगतान करने में विफल रहे, इसलिए आवंटन पत्र के खंड 10 को देखते हुए समर्पण के लिए अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सका।रिट याचिकाकर्ताओं ने नगर निगम के आयुक्त के समक्ष अपील दायर की और यह तर्क दिया गया कि एक कार्यकारी अधिकारी फिर से शुरू करने का आदेश पारित नहीं कर सकता था और केवल राष्ट्रपति ही ऐसा आदेश पारित कर सकते थे।आयुक्त ने कहा कि अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा पारित प्रस्ताव दिनांक आई. डी. 1 के अनुसार, पंजाब नगर निगम (कार्यकारी अधिकारी) अधिनियम, 1931 ('1931 अधिनियम') की अनुसूची में उल्लिखित समिति की शक्ति का प्रयोग कार्यकारी अधिकारी द्वारा किया जा सकता है।तदनुसार अपील को 15.6.1999 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था।

(3) रिट याचिकाकर्ताओं ने बहाली के आदेश और अपीलीय आदेश को चुनौती दी।विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि हालांकि समिति की शक्तियों का प्रयोग 1931 के अधिनियम के अनुसार प्रस्ताव में प्रत्यायोजन के अनुसार किया जा सकता है, लेकिन फिर से शुरू करने की शक्ति समिति की नहीं थी, बल्कि केवल राष्ट्रपति की थी और इस प्रकार, किसी अन्य अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता था।यह भी नोट किया गया कि रिट याचिकाकर्ताओं ने 24 प्रतिशत ब्याज के साथ जमा किया था और इस प्रकार, फिर से शुरू करने का आदेश अलग रखा जा सकता था।

(4) हमने पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना है।

(5) अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि आवंटन पत्र के संदर्भ में राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति नगर समिति की शक्ति है और इस प्रकार उक्त शक्तियों का प्रयोग ऐसे प्राधिकारी द्वारा वैधानिक प्रावधानों के अनुसार किया जा सकता है जिन्हें वे प्रत्यायोजित किए गए हैं।विद्वान एकल न्यायाधीश ने उक्त शक्तियों के प्रयोग को केवल राष्ट्रपति तक सीमित रखने में गलती की थी।यह आगे प्रस्तुत किया गया कि फिर से शुरू करने का आदेश वैध है, केवल तथ्य यह है कि विचाराधीनता के दौरान

रिट याचिका, रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा फिर से शुरू करने के आदेश के 15 साल से अधिक समय के बाद जमा किया गया था, अपने आप में फिर से शुरू करने के आदेश को रद्द करने के लिए आधार नहीं हो सकता है।

(6) विचार के लिए प्रश्न यह है कि क्या विद्वान एकल न्यायाधीश को इस आधार पर फिर से शुरू करने को रद्द करने में उचित ठहराया गया था कि कार्यकारी अधिकारी द्वारा पारित आदेश, जो नगरपालिका के समाधान के तहत मामले से निपटने के लिए अधिकृत था, अधिकार क्षेत्र के बिना था और क्या केवल जमा किए जाने पर, रिट याचिका विचाराधीनता होने के दौरान, फिर से शुरू करने के आदेश की वैधता पर निर्णय के बिना, फिर से शुरू किया जाना अलग करने के लिए उत्तरदायी था।

(7) प्रश्न पर विचार करने से पहले, पुनः आरंभ करने का आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के मुद्दे पर विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश में टिप्पणियों का उल्लेख करना उचित होगाः-

“नगरपालिका की कार्यकारी शक्ति कार्यकारी अधिकारी में निहित है।इन कार्यकारी शक्तियों में निहित शक्तियां और कार्यों पर लगाए गए कर्तव्य, और अनुसूची I में उल्लिखित अधिनियम की धाराओं के तहत समिति को दी जाने वाली आपत्तियां और नोटिस शामिल हैं। उपरोक्त अधिनियम की अनुसूची I में निर्दिष्ट अधिनियम की विभिन्न धाराओं पर एक नज़र डालने से कहीं भी यह संकेत नहीं मिलता है कि समिति के पास निहित किसी स्थान को फिर से शुरू करने की शक्ति है और इसलिए, ऐसी शक्ति कार्यकारी अधिकारी को सौंपी जा सकती है।इसके अलावा, कार्यकारी अधिकारी अधिनियम की खंड 2 (बी) में "समिति" को नगरपालिका की समिति या एक अधिसूचित क्षेत्र के रूप में भी परिभाषित किया गया है, जैसा भी मामला हो, जिस पर इस अधिनियम का विस्तार किया गया था।फाइल पर यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि साइट को फिर से शुरू करने की शक्ति समिति के पास निहित है न कि राष्ट्रपति के पास।ऐसी स्थिति में, किसी कार्यकारी अधिकारी के पक्ष में अपनी शक्ति की समिति द्वारा कोई भी प्रतिनिधिमंडल ऐसे कार्यकारी अधिकारी को आगे बढ़ने और फिर से शुरू करने का आदेश पारित करने का अधिकार नहीं देता था।केवल समिति का अध्यक्ष आवंटन पत्र के खंड 10 के तहत फिर से शुरू करने का आदेश पारित करने के लिए सक्षम था और कोई और नहीं।उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह माना जाना चाहिए कि 821 का आदेश देते हुए अधिसूचित क्षेत्र समिति, मणिमाजरा के कार्यकारी अधिकारी द्वारा पारित आदेश संलग्नक पी. 2

(आदर्श कुमार गोयल, एसीजे)

भूखंड को फिर से शुरू करना, शून्य था।नतीजतन, विचाराधीन स्थल को फिर से शुरू करने के आदेश को कानून की नजर में अस्तित्वहीन माना जाता है।"

(8) प्रतिवादी के लिए विद्वान वकील उपरोक्त टिप्पणियों का समर्थन करते हैं और प्रस्तुत करते हैं कि नगरपालिका या उसके अधिकृत प्रतिनिधि या कार्यकारी अधिकारी फिर से शुरू होने के मुद्दे से नहीं निपट सकते हैं और केवल समिति के अध्यक्ष ही इस मुद्दे से निपट सकते हैं जैसा कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा था।वैकल्पिक रूप से, जमा किए जाने पर फिर से शुरू किया जाना अलग रखा जा सकता था।

(9) नगरपालिकाएँ अब संविधान के भाग IXA के तहत आने वाले संवैधानिक निकाय हैं और उनके कार्य अनुच्छेद 243ZF और राज्य विधान के साथ पठित अनुच्छेद 243W द्वारा शासित होते हैं। पंजाब नगरपालिका अधिनियम, 1911 की खंड 56 के तहत समिति की सारी संपत्ति इसमें निहित है।एक बार जब संपत्ति समिति की हो जाती है और समिति की ओर से आवंटन किया जाता है, तो यह नहीं माना जा सकता है कि समिति की ओर से फिर से शुरू करने का आदेश देने की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।जैसा कि नगर निगम में आयोजित किया जाता है

दिल्ली निगम बनाम बिड़ला कॉटन एंड वीविंग मिल्स (1)

नगरपालिका समिति अपनी शक्तियों का प्रयोग इस तरह से कर सकती है जिसकी किसी अधिनियम के तहत अनुमति हो।

(10) हम विद्वान एकल न्यायाधीश के इस निष्कर्ष को बरकरार रखने में असमर्थ हैं कि केवल समिति के अध्यक्ष ही बहाली का आदेश पारित कर सकते हैं और कोई और नहीं।समझौता (पेपर बुक-ए 2 का पृष्ठ 77) दिनांक 1, जिसके द्वारा आवंटन किया गया था, के संदर्भ से पता चलता है कि समझौता रिट याचिकाकर्ताओं और अपीलकर्ता समिति के बीच है और उसके खंड 13 के अनुसार, समिति या अध्यक्ष या सचिव की शक्ति का उपयोग समिति का प्रतिनिधित्व करने के लिए विधिवत अधिकृत किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है।उक्त खंड इस प्रकार हैः-

"13. एतद्वारा यह सहमति और घोषणा की जाती है कि जब तक कि संदर्भ से कोई अलग अर्थ प्रकट नहीं होगाः-

(क) इन उपहारों में उपयोग की जाने वाली अभिव्यक्तियों में अधिसूचित क्षेत्र समिति, मणिमाजरा, समिति के अध्यक्ष और सचिव के अलावा और किसी भी मामले या इसमें निहित या उत्पन्न होने वाली किसी भी चीज़ के संबंध में शामिल हैं।

(1) ए. आई. आर 1968 एस. सी. 1232

ये ऐसे मामले या चीज़ के संबंध में अधिसूचित क्षेत्र समिति, मणिमाजरा का कार्य करने या प्रतिनिधित्व करने के लिए विधिवत अधिकृत प्रत्येक व्यक्ति को प्रस्तुत करते हैं।"

(11) संकल्प दिनांक 10.5.1990 (पेपर बुक का पृष्ठ 83) का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार हैः-

"कार्यकारी अधिकारी एन. ए. सी., मणिमाजरा के प्रशासन को चलाने के उद्देश्य से पंजाब नगर निगम अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों और उप-कानूनों के प्रावधानों के अधीन सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा और नगर प्रशासन उसके सीधे नियंत्रण में होगा।"

(12) यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि आवंटन पत्र स्वयं अपीलकर्ता समिति की ओर से है और अध्यक्ष केवल समिति का एक पदाधिकारी है।ऐसी स्थिति में, यह नहीं माना जा सकता था कि समिति या राष्ट्रपति के अलावा इसके किसी अन्य पदाधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की होगी।यदि समिति एक आवंटन कर सकती है, तो वह फिर से शुरू होने के मामले में इसे फिर से शुरू कर सकती है।एक न्यायिक व्यक्ति को इसद्वारा से कार्य करना पड़ता है

उसके अधिकृत प्रतिनिधि।A.Sanjeevi नायडू बनाम मद्रास राज्य में

(2), यह देखा गया कि एक लोक सेवक मंत्री के प्रतिनिधि के रूप में नहीं बल्कि सरकार के अंग के रूप में कार्य करता है।नगरपालिका में भी यही स्थिति है।

निगम।यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया बनाम नरेश कुमार और

अन्य (3), यह देखा गया कि एक न्यायिक व्यक्ति अपने प्रतिनिधि द्वारा से कार्य कर सकता है और ऐसे प्रतिनिधि के अधिकार को स्पष्ट रूप से या निहित रूप से अनुमोदित किया जा सकता है और एक बार अधिकृत प्रतिनिधि ने कानूनी रूप से कार्य किया है, न्यायालय अधिकार क्षेत्र की दुर्बलता की अनुपस्थिति में में इस तरह के तकनीकी दोष को ध्यान में नहीं रख सकता है।भले ही आवंटन पत्र राष्ट्रपति को आवंटन की शक्ति का अधिकृत प्रयोग करता हो, लेकिन इसमें समिति के किसी अन्य कानूनी रूप से अधिकृत पदाधिकारी द्वारा शक्ति का प्रयोग शामिल नहीं था।

(13) गुजरात प्रदेश पंचायत परिषद बनाम राज्य में

गुजरात (4) में यह देखा गयाः-

"33. ए. संजीवी नायडू बनाम मद्रास राज्य, (1970) 1 एस. सी. सी. 443

इस न्यायालय के पास भूमिका पर विचार करने का अवसर था

(2) 1970 (1) एससीसी 443

(3) 1996 (6) एससीसी 660

(4) 2007 (7) एससीसी 718

नगरपालिका निगम, चंडीगढ़ और अन्य बनाम कोल. आर. टी. डी. दलित सिंह और अन्य

(आदर्श कुमार गोयल, एसीजे)

मंत्रिपरिषद (निर्वाचित शाखा) और सिविल सेवक (प्रशासनिक शाखा)।लोकतांत्रिक शासन को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियां कींः(एस. सी. सी. पी. 449, पैरा 10)

"10. मंत्रिमंडल किसी भी मंत्रालय में की गई प्रत्येक कार्रवाई के लिए विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी है।यही संयुक्त उत्तरदायित्व का सार है।इसका मतलब यह नहीं है कि प्रत्येक निर्णय मंत्रिमंडल द्वारा लिया जाना चाहिए।मंत्रिपरिषद की राजनीतिक जिम्मेदारी सभी या किसी भी सरकारी कार्यों के निर्वहन के लिए मंत्रिपरिषद की व्यक्तिगत जिम्मेदारी का अनुमान नहीं लगाती है और न ही लगा सकती है।इसी तरह एक व्यक्तिगत मंत्री अपने मंत्रालय में की गई या छोड़ी गई प्रत्येक कार्रवाई के लिए विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है।यह फिर से एक राजनीतिक जिम्मेदारी है न कि व्यक्तिगत जिम्मेदारी।यहां तक कि सबसे मेहनती मंत्री भी अपने विभाग के हर काम में शामिल नहीं हो सकता।यदि वह ऐसा करने का प्रयास करता है, तो वह अपने विभाग में गड़बड़ी करने के लिए बाध्य है।प्रत्येक सुनियोजित प्रशासन में, अधिकांश निर्णय सिविल सेवकों द्वारा लिए जाते हैं जो विशेषज्ञ होने की संभावना रखते हैं और राजनीतिक दबाव के अधीन नहीं होते हैं।मंत्री से दिन-प्रतिदिन के प्रशासन का बोझ खुद पर डालने की अपेक्षा नहीं की जाती है।उनका प्राथमिक कार्य अपने मंत्रालय की नीतियों और कार्यक्रमों को निर्धारित करना है जबकि मंत्रिपरिषद सरकार की प्रमुख नीतियों और कार्यक्रमों को तय करती है।जब कोई सिविल सेवक कोई निर्णय लेता है, तो वह ऐसा नहीं करता है अपने मंत्री का प्रतिनिधि।वह इसकी ओर से करता है सरकार।एक मंत्री के लिए अपने मंत्रालय में किसी भी फाइल को बुलाने और आदेश पारित करने के लिए हमेशा खुला रहता है।वह अपने मंत्रालय के अधिकारियों को आम तौर पर या किसी विशिष्ट मामले के संबंध में सरकारी कार्यों के निपटारे के संबंध में निर्देश भी जारी कर सकता है।उस समग्र शक्ति के अधीन, 'नियमों' या स्थायी आदेशों द्वारा नामित अधिकारी, सरकार की ओर से निर्णय ले सकते हैं।ये अधिकारी सरकार के अंग हैं न कि इसके प्रतिनिधि।(जोर दिया गया)

34. इसी तरह का विचार हाल ही में इस न्यायालय द्वारा व्यक्त किया गया था तरलोचन देव शर्मा बनाम पंजाब राज्य (5)।

(5) (2001) 6 एससीसी 260

35. दलों ने सरकार और नौकरशाही का भी उल्लेख किया

श्री बी. बी. मिश्रा द्वारा भारत का 1947-76। विद्वान लेखक ने उस काम में कहाः

"हालाँकि, यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि सबसे गतिशील और सक्षम मंत्रियों की भी समझने योग्य सीमाएँ हैं जो प्रशासन के सभी जटिल और विस्तृत पहलुओं में प्रत्यक्ष भागीदारी के क्षेत्र को सीमित करती हैं। इनमें एक आधुनिक सरकार की जटिलताएं, मंत्री क्षेत्र में बार-बार बदलाव की संभावना, निर्वाचन क्षेत्रों में यात्राओं की आवृत्ति, संसदीय व्यस्तताएं और सर्वोपरि, विभिन्न निर्णयों की तकनीकी प्रकृति शामिल है जो मूल फाइलों में निहित जुड़े कागजातों की पूरी जानकारी के बिना किए जाने हैं। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने सचिव पर मंत्री की निर्भरता अनिवार्य रूप से बढ़ जाती है। और यद्यपि प्रशासन के पूरे क्षेत्र में उनके नेतृत्व को सिद्धांत रूप में सर्वव्यापी माना जाता है, उनके वास्तविक संचालन का दायरा नीतिगत मामलों की स्पष्ट समझ और दिशा से परे नहीं है, न कि विवरण के ज्ञान से। इस प्रकार, 1937 में मैक्सवेल समिति ने मंत्रिस्तरीय जिम्मेदारी के ढांचे के भीतर प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक सिद्धांत निर्धारित किया। समिति ने इस बात पर जोर दिया कि जिस तरह सामूहिक मंत्रिस्तरीय जिम्मेदारी ने सरकार की राजनीतिक एकता को बनाए रखा है, उसी तरह प्रत्येक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण की एकता को एक अधिकारी में मंत्री को सलाह देने की जिम्मेदारी को केंद्रित करके सुनिश्चित किया जाना चाहिए, अर्थात्ः सचिव।"

36. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों और सिविल सेवकों के बीच स्पष्ट अंतर है। जिला पंचायत स्तर पर लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधि नीति तैयार करेंगे और लोक सेवक कार्यक्रमों और नीतिगत निर्णयों को लागू करके इसे लागू करेंगे। नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण के मामलों में भी, सिविल सेवक प्रासंगिक आंकड़ों को राजनीतिक कार्यपालिका के ध्यान में लाकर महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इसी तरह, निर्वाचित प्रतिनिधि लोक सेवकों को लोगों की समस्याओं और कठिनाइयों के बारे में सूचित कर सकते हैं जो

प्रशासन द्वारा ध्यान रखा जा सकता है।लेकिन, दोनों कार्यों को दो पंखों द्वारा किया जाना है जो परस्पर निर्भर होने के बावजूद अलग-अलग हैं।"

(14) इस प्रकार, हमारा विचार है कि फिर से शुरू करने के विवादित आदेश को केवल इस आधार पर दरकिनार नहीं किया जा सकता है कि फिर से शुरू करने का आदेश पारित करने की शक्ति समिति की नहीं बल्कि राष्ट्रपति की थी।हमारे विचार के कारणों का सारांश इस प्रकार हैः-

(क) संपत्ति समिति की है और आवंटन समिति की ओर से किया गया था;

(ख) अध्यक्ष को फिर से शुरू करने की शक्ति भी समिति की शक्ति थी।

(ग) पक्षकारों के बीच एक विधिवत अधिकृत पदाधिकारी द्वारा प्रयोग की जाने वाली स्पष्ट रूप से अधिकृत शक्ति के लिए समझौता;

(घ) एक न्यायिक व्यक्ति वैध प्रतिनिधि द्वारा से कार्य कर सकता है, विशेष रूप से वैधानिक प्रावधान के अनुसार;

(ङ) राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करने में वैधानिक योजना के अनुसार शक्ति का प्रयोग शामिल नहीं था।

(15) अब हम फिर से शुरू करने को अलग करने के दूसरे कारण पर आ सकते हैं, अर्थात याचिका विचाराधीनता रहने के दौरान जमा।हमारे विचार में, रिट याचिका विचाराधीनता रहने के दौरान केवल जमा राशि ही पुनः आरंभ करने की शक्ति के प्रयोग की वैधता के सवाल पर निर्णय लिए बिना पुनः आरंभ करने के आदेश को रद्द करने के लिए पर्याप्त नहीं है।यह केवल तभी होता है जब सत्ता का प्रयोग अवैध पाया जाता है, फिर से शुरू करने को अलग करने का सवाल उठ सकता है और ऐसी स्थिति में भी, उन शर्तों पर निर्णय लेना पड़ सकता है जिन पर फिर से शुरू किया जा सकता है।चूंकि इस पहलू पर, हम विद्वान एकल न्यायाधीश के दृष्टिकोण को बनाए रखने में असमर्थ हैं, इसलिए मामले में नए निर्णय की आवश्यकता हो सकती है।

(16) तदनुसार, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं, विवादित आदेश को दरकिनार करते हैं और कानून के अनुसार गुण-दोष पर नए निर्णय के लिए मामले को रिमांड पर लेते हैं।

(17) रिट याचिका को 18.7.2011 पर रोस्टर के अनुसार सूचीबद्ध किया जा सकता है।

वी. सूरी

अस्वीकरण:- स्थानिया भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सिमित प्रयोग के लिए है ताकि अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इस का उपयोग नहीं किया जा सकता । सभी व्हावीरिक एवं आधारिक उद्येश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण परमानिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

gurvinder kaur